

# कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, कांकेर

गोविन्दपुर, जिला-उ.ब.कांकेर (छ.ग.), पिन-494334

दूरभाष:- 07868-241880, ई-मेल:- livelihoodkanker@gmail.com

क्र./लाई.कॉ.कां./स्था/ 269 /2016-17

कांकेर, दिनांक 05/10/2016

## प्रेस विज्ञप्ति

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी कांकेर (छ.ग.) में क्र./ला.कॉ.कां./स्था./3414/2015-16 कांकेर दिनांक 26.05.2015 द्वारा विज्ञापित पदों कार्यालय सहायक (संविदा) 01 पद अनारक्षित (मुक्त) एवं कार्यालय हेल्पर (संविदा) 01 पद आरक्षित (अजजा) के लिए जारी भर्ती विज्ञापन को पूर्णतः निरस्त करते हुए पुनः नये संशोधित आदेश पत्र छ.ग. शासन कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ-1-27/2016/कौ.वि./42/नया रायपुर, दिनांक 01.08.2016 तथा राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर राजभवन के पास जी.ई. रोड रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/रापलाका/स्था./2016/152 रायपुर दिनांक 06.08.2016 के आधार पर निम्नलिखित पदों पर (संविदा भर्ती) रिक्त पदों के पूर्ति के लिये योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र दिनांक 21.10.2016 सायं 05.30 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। विज्ञापन संबंधी विस्तृत जानकारी कार्यालय के सूचना पटल व राज्य/जिले की वेबसाईट splc.cgstate.gov.in, www.kanker.gov.in पर उपलब्ध है। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्यालय का नाम	विज्ञापित पद का नाम	मासिक वेतन	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों का बर्तवार विवरण				
					अनारक्षित	अ.पि.व.	अजा.	अजजा.	योग
01	जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी कांकेर	लेखापाल	रु. 30000.00	01	01	-	-	-	01
02		कार्यालय सहायक	रु. 20000.00	01	01	-	-	-	01
03		कार्यालय हेल्पर	रु. 10000.00	01	-	-	-	01	01

टीप :- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-1-1/2012/1-3 नया रायपुर दिनांक 10.03.2015 के अंतर्गत केवल कांकेर जिले के स्थानीय निवासी ही संविदा भर्ती पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु पात्र होंगे।

कलेक्टर सह अध्यक्ष

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी  
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

कांकेर, दिनांक 05/10/2016

पू. क्र./लाई.कॉ.कां./स्था/ 270 /2016-17  
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, वित्त विभाग, रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
4. निदेशक, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी कांकेर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं जिले की वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा हेतु।
9. कार्यालय प्रति।

कलेक्टर सह अध्यक्ष

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी  
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

# कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, कांकेर

गोविन्दपुर, जिला-उ.ब.कांकेर (छ.ग.), पिन-494334

दूरभाष:- 07868-241880, ई-मेल:- livelihoodkanker@gmail.com

क्र/लाई.कॉ.कां/स्था/

/2016-17

कांकेर, दिनांक

/ /2016

## लेखापाल, कार्यालय सहायक एवं कार्यालय हेल्पर पद में संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी कांकेर के अंतर्गत निम्न पदों हेतु पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी जो कांकेर जिले के स्थानीय निवासी हों, से रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी कांकेर के पते पर दिनांक 21.10.2016 तक कार्यालयीन समय सांय 05.30 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.	पदनाम	वेतन मान	वर्ग	निर्धारित अर्हताएं
01	02	03	04	05
1.	लेखापाल 01 पद (संविदा)	30000/- रु. एकमुश्त	अनारक्षित	1- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कामर्स में न्यूनतम 50 प्रतिशत के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण या आई.सी.डब्ल्यू.ए.संस्थान की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण, एवं 2- छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्थान या केंद्र/राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम, निगम, मंडल में या पंजीकृत चार्टर्ड एकाऊंटेंट प्रतिष्ठान से लेखा संबंधी कार्य का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव।
2.	कार्यालय सहायक 01 पद (संविदा)	20000/- रु. एकमुश्त	अनारक्षित	1- केन्द्र शासन अथवा छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से न्यूनतम 60 प्रतिशत के साथ (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण एवं 2- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्र शासन या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त परिषद, राष्ट्रीय या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र परीक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण, डाटा एन्ट्री की गति 8000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा का कौशल हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में, (जिसके लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी) एवं 3- छत्तीसगढ़ राज्य शासन के शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्थान अथवा सार्वजनिक उपक्रम, निगम, मंडल में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या सहायक ग्रेड 03 या इनके वेतनमान से उच्च वेतनमान पर कार्य का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव।
3	कार्यालय हेल्पर 01 पद (संविदा)	10000/- रु. एकमुश्त	अजजा	1- केन्द्र अथवा राज्य शासन से मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से दसवीं उत्तीर्ण, एवं 2- छत्तीसगढ़ राज्य शासन के शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्थान अथवा सार्वजनिक उपक्रम, निगम, मंडल में 1 वर्ष का कार्य अनुभव तथा एल.एम.व्ही. का कामर्शियल लायसेंस धारी हो। नोट :- कार्यालय हेल्पर को कार्यालयीन कार्यों में सहयोग के साथ साथ आवश्यकतानुसार सिक्योरिटी एवं वाहन चालन के भी कार्य अपेक्षित हैं।

विज्ञापन की विस्तृत जानकारी हेतु राज्य व जिले की वेबसाईट [www.splc.cgstate.gov.in](http://www.splc.cgstate.gov.in), [www.kanker.gov.in](http://www.kanker.gov.in) तथा कार्यालय के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है। भर्ती संबंधित संमस्त जानकारी उपरोक्त वेबसाईट में अपलोड की जायेगी।

कलेक्टर सह अध्यक्ष  
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी  
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

# कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, कांकेर

गोविन्दपुर, जिला-उ.ब.कांकेर (छ.ग.), पिन-494334

दूरभाष:- 07868-241880, ई-मेल:- livelihoodkanker@gmail.com

क्र/लाई.कॉ.कां/स्था/

/2016-17

कांकेर, दिनांक

/ /2016

## —लेखापाल, कार्यालय सहायक एवं कार्यालय हेल्पर पद में संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन:—

वित्त विभाग के द्वारा दी गई सहमति के आधार पर छ.ग. शासन, कौषल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 1-27/2016/कौ.वि./42, नया रायपुर, दिनांक 17.06.2016 एवं राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, रायपुर का पत्र क्रमांक/रापलाका/स्था./2016/152 रायपुर, दिनांक 06.08.2016 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी कांकेर के जिला स्तरीय कार्यालय हेतु अधोवर्णित पदों व उनके सम्मुख दर्शाये विवरण अनुसार तीन वर्ष के संविदा (एकमुष्ट वेतन) हेतु वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21.10.2016 तक कार्यालयीन समय सायं 05.30 बजे तक निर्धारित है। अंतिम तिथि पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। भर्ती किये जाने वाले पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

### जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी कांकेर के अंतर्गत लेखापाल, कार्यालय सहायक तथा कार्यालय हेल्पर हेतु आवश्यक योग्यता एवं अन्य सुसंगत जानकारी तथा आवेदन पत्र का प्रारूप

1. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी कांकेर के उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये पूर्णतया एकमुष्ट मासिक वेतन पर संविदा आधार पर पूर्ति किये जाने हेतु इच्छुक एवं पात्र आवेदकों से, जो इस पद के लिए निर्धारित अर्हताओं को पूरी करते हों, आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। जिनके लिये "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012" लागू होंगे।
2. **संविदा वेतन एवं अवधि-** संविदा सेवा में सिर्फ एक मुष्ट राशि मासिक वेतन के रूप में (लेखापाल पद के लिये एकमुष्ट राशि रु. 30,000 प्रति माह, कार्यालय सहायक के लिए एकमुष्ट राशि रु.20,000 प्रति माह तथा कार्यालय हेल्पर के लिये एकमुष्ट राशि रु. 10,000) देय होगी, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृहभाड़ा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी। चयनित व्यक्ति को तीन वर्षों की अवधि के लिए करार के माध्यम से अनुबंधित किया जाएगा, यह अवधि अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विस्तारणीय होगा और आरंभिक तीन वर्ष की अवधि के दौरान राज्य शासन के कर्मचारियों को देय बढ़ी हुई महंगाई भत्ता के अनुसार विस्तारण के समय परिलब्धियों के अभिसूचक के साथ अनुबंधित किया जाएगा।
3. **पद हेतु निर्धारित अर्हताएं:-**

क्र.	पदनाम	निर्धारित अर्हताएं
1.	लेखापाल 01 पद (अनारक्षित)	1- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कामर्स में न्यूनतम 50 प्रतिशत के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण या आई.सी.डब्ल्यू.ए.संस्थान की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण, एवं 2- छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्थान या केंद्र/राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम, निगम, मंडल में या पंजीकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रतिष्ठान से लेखा संबंधी कार्य का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव।

2	<p style="text-align: center;"><b>कार्यालय सहायक 01 पद (अनारक्षित)</b></p>	<p>1- केन्द्र शासन अथवा छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से न्यूनतम 60 प्रतिशत के साथ (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण एवं</p> <p>2- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्र शासन या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त परिषद, राष्ट्रीय या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र परीक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण, डाटा एन्ट्री की गति 8000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा का कौशल हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में, (जिसके लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी) एवं</p> <p>3- छत्तीसगढ़ राज्य शासन के शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्थान अथवा सार्वजनिक उपक्रम, निगम, मंडल में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या सहायक ग्रेड 03 या इनके वेतनमान से उच्च वेतनमान पर कार्य का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव।</p>
3.	<p style="text-align: center;"><b>कार्यालय हेल्पर 01 पद (अजजा)</b></p>	<p>1- केन्द्र अथवा राज्य शासन से मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से दसवीं उत्तीर्ण, एवं</p> <p>2- छत्तीसगढ़ राज्य शासन के शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्थान अथवा सार्वजनिक उपक्रम, निगम, मंडल में 1 वर्ष का कार्य अनुभव तथा एल.एम.व्ही. का कामर्शियल लायसेंस धारी हो।</p> <p>नोट :- कार्यालय हेल्पर को कार्यालयीन कार्यों में सहयोग के साथ साथ आवश्यकतानुसार सिक्वोरिटी एवं वाहन चालन के भी कार्य अपेक्षित हैं।</p>

#### 4. निर्धारित आयु सीमा:-

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2016 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिये उच्चतर आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-

- (i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
- (ii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कंटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिये भी स्वीकार्य होगी।
- (iii) ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं की योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम-स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण:- "छटनी किये गये सरकारी सेवक" से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थाई सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।
- (iv) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

- (v) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के अनुसार महिलाओं के लिये उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।
- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 2.6.2004 एवं क्रमांक एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों/पंचायतकर्मियों के रूप में सेवा की है इसके लिये 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी।
- (vii) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (viii) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा/महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।
- (ix) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.6.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (x) राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुन्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं" को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (xi) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर, दिनांक 30.1.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।
- (xii) अधिकतम आयु सीमा में छूट के लिये छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अद्यतन परिपत्रों के प्रावधान लागू रहेंगे।

#### महत्वपूर्ण टीप:-

- (i) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 27.9.2013 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु एक बार के लिए 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, परन्तु अन्य विशेष वर्ग जैसे-छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
  - (ii) आयु की गणना दिनांक - 1.1.2016 के संदर्भ में की जाएगी।
  - (iii) निःशक्तता से बाधित व्यक्तियों के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।
5. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3 नया रायपुर दिनांक 10.03.2015 के अंतर्गत केवल कांकेर जिले के ही स्थानीय निवासी ही संविदा भर्ती पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु पात्र होंगे।
- अभ्यर्थी आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। कौशल परीक्षा के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।
6. वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना:- अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।

- (i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि उल्लेखित हो। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं से संबंधित अंकसूची।
- (iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियाँ। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी को आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।

**(iv) जाति प्रमाण पत्र :-**

- (a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (b) यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें:-
  - (i) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
  - (ii) विज्ञापन की कंडिका - 4(i), 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(vi) वं 4(vii) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
  - (iii) विज्ञापन की कंडिका - 4(viii) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।
  - (iv) विज्ञापन की कंडिका - 4(ix) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/ राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
  - (v) विज्ञापन की कंडिका - 4(x) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार" प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।
  - (vi) विज्ञापन की कंडिका - 4(xi) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये "सक्षम अधिकारी द्वारा संविदा अनुभव" का प्रमाण-पत्र।

**7. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र :-**

- (i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हो अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हो या राष्ट्रीय/अराष्ट्रीय बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हो तो वे आवेदन कर सकते हैं, परन्तु आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" सीधे जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।
- (ii) ऐसे अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया के दौरान पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।
- (iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**8. आपराधिक अभियोजन:-**

- (A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:-
  - (i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए चयन प्रक्रिया में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या
  - (ii) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

- (iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या
- (iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या
- (v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
- (vi) साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
- (vii) साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
- (viii) साक्षात्कार संचालन में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
- (ix) बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, या
- (x) साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
- (B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी :-
- (i) जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी द्वारा उस चयन के लिए, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या
- (ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा :-
- (a) जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।
- (b) जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और
- (c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी,

परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि -

- (i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

**9. अर्हता:-** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अर्हता होगी :-

- (i) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

- (ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वास्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से संविदा पद पर नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

- (iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

- (iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

- (v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (vi) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक

जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

**10. आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश :-**

1. शैक्षणिक/तकनीकी अर्हता, अनुभव प्रमाण पत्र, आयु, जाति, विकलांग आदि के प्रमाण हेतु संबंधित प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी अथवा स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना आवश्यक है।
2. आवेदन में चाही गई जानकारीयां सही भरी जावे।
3. अनुभव प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त संस्थाओं के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके लेटरहेड में जारी किये गए होने चाहिए।
4. आवेदक अपनी अर्हताएं, संबंधित अनुभव की जांच स्वयं कर लें एवं विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हताएं, अनुभव एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। चयन एवं सेवा के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर या असत्य जानकारी आदि दिये जाने पर आवेदन/ नियुक्ति निरस्त कर दिया जावेगा जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव की जांच कराई जायेगी, जांच में किसी भी प्रकार से गलत जानकारी प्राप्त होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र अमान्य किया जायेगा।
6. संपूर्ण चयन प्रक्रिया के दौरान सभी मामलों में नियोक्ता का निर्णय सर्वमान्य होगा।
7. आवेदन के साथ सभी संलग्न सहपत्रों का अनिवार्य रूप से अलग से एनेक्सर में विवरण देंवे तथा सावधानी पूर्वक अच्छे से सभी प्रमाण पत्र संलग्न हैं उसकी जांच कर लें।
8. आवेदन संलग्न निर्धारित प्रारूप में ही किया जावे।
9. आवेदन निम्न पते पर रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से निर्धारित तिथि एवं समय के अंदर स्वीकार किये जायेंगे। डाक में विलम्ब होने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

प्रति,

कलेक्टर सह अध्यक्ष,

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी कांकेर

गोविन्दपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ पिन- 494334

**11. चयन प्रक्रिया :-**

क्रमांक	पदनाम	चयन प्रक्रिया
1.	लेखापाल (अनारक्षित)	आवेदन जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी द्वारा विज्ञापन कर प्राप्त किए जायेंगे। पात्र आवेदकों की कौशल परीक्षा आयोजित की जावेगी। लेखा संबंधी कार्यालयीन कार्यों के ज्ञान के मूल्यांकन हेतु कम्प्यूटर आधारित कौशल परीक्षा 50 अंकों की होगी। टैली संबंधी ज्ञान के लिए कौशल परीक्षा 50 अंकों की होगी। कौशल परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग के आधार पर प्रावीण्यता सूची बनाई जावेगी। कौशल परीक्षाओं के अंकों को जोड़कर बनाई गई प्रावीण्यता सूची के आधार पर चयन किया जायेगा। प्रावीण्यता सूची से चयन हेतु उम्मीदवार को 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्तांक (कौशल परीक्षा के प्राप्तांको का योग) होने पर ही चयन हेतु पात्र माना जायेगा।



2	कार्यालय सहायक (अनारक्षित)	पात्र पाय गये आवेदको को कौशल परीक्षा के लिये आमंत्रित किया जायेगा। हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की गति 8,000 की डिप्रेशन प्रति घण्टा की कौशल परीक्षा 50 अंको की होगी। कार्यालयीन पत्राचार, नोटशीट, प्रेजेन्टेशन, गणना आदि के ज्ञान के संबंध में कम्प्यूटर आधारित कौशल परीक्षा 50 अंको की होगी। कौशल परीक्षाओं में प्राप्तांको के योग के आधार पर प्रावीण्यता सूची बनाई जावेगी कौशल परीक्षाओं के अंको को जोड़कर बनाई गई प्रावीण्यता सूची के आधार पर चयन किया जायेगा। प्रावीण्यता सूची से चयन हेतु उम्मीदवार को 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्तांक (कौशल परीक्षा के प्राप्तांको का योग) होने पर ही चयन हेतु पात्र माना जायेगा।
3.	कार्यालय हेल्पर (अ.ज.जा)	पात्र आवेदकों की निर्धारित अर्हता के अंकों के आधार पर प्रावीण्यता सूची बनाई जायेगी। निर्धारित अर्हता के अंकों के आधार पर बनाई गई प्रावीण्यता सूची के आधार पर चयन किया जायेगा। चयन प्रक्रिया में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा।

12. कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी कांकेर, द्वारा उपरोक्त तीनों पदों (लेखापाल, कार्यालय सहायक, कार्यालय हेल्पर) के चयन सूची को अनुमोदित अथवा निरस्त कर सकेंगे।
13. पद क्रमांक— 01 लेखापाल एवं पद क्रमांक— 02 कार्यालय सहायक, एकाकी पद होने के कारण अनारक्षित मुक्त हैं। फलस्वरूप आरक्षित वर्ग के आवेदक को इस पद के लिए जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
12. **विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation):—**

इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें, महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज कांकेर का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा। प्रकाशन की त्रुटि के लिए जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी कांकेर जिम्मेदार नहीं होगा।

13. **आवेदन करने की अंतिम तिथि :- 21/10/2016 के सायंकाल 5:30 बजे** (निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा)

**कलेक्टर सह अध्यक्ष**  
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी  
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

**कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, कांकेर**  
**गोविन्दपुर, जिला-उ.ब.कांकेर (छ.ग.), पिन-494334**

ई मेल:- livelihoodkanker@gmail.com, वेबसाईट :www.kanker.gov.in

**लेखापाल, कार्यालय सहायक एवं कार्यालय हेल्पर (संविदा पद) हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप**

- आवेदित पद का नाम - .....
1. आवेदक का नाम - .....
2. पिता/पति का नाम - .....
3. जन्मतिथि अंकों में :- दिन..... माह..... वर्ष.....  
 आयु दिनांक 01.01.2016 की स्थिति में :- दिन..... माह..... वर्ष.....
4. लिंग :- पुरुष  महिला
5. क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है : हां  नहीं
6. जाति :-  
 अनुसूचित जाति  अनुसूचित जनजाति  पिछड़ा वर्ग  सामान्य
7. क्या आप विकलांग है : हां  नहीं
8. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता का विवरण जो कि अनिवार्य अर्हता में चाहा गया है -

हाल ही में खीचा हुआ रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो स्वप्रमाणित चरपा करें।

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विषय विद्यालय का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	रिमार्क (यदि कोई है)
1	2	3	4	5	6	7	8

**आवेदक के हस्ताक्षर**

9. छत्तीसगढ़ राज्य शासन के शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्थान अथवा सार्वजनिक उपक्रम, निगम, मंडल में पद के अनुरूप कार्यालयीन कार्य का अनुभव का विवरण

(A) कृपया अनुभव का ब्यौरा स्पष्ट रूप से दिनांक के घटते क्रम में लिखें।

क्र.	नियोक्ता विभाग/संगठन का नाम	संस्था/प्रतिष्ठान का नाम जहाँ कार्य किया/कर रहे है	पदनाम	पद की प्रकृति (अस्थायी/स्थायी संविदा या अन्य)	मासिक वेतन (रु. में)	कार्य ग्रहण अवधि दिनांक सहित	कुल अनुभव (माह में)
1	2	3	4	5	6	7	8

(B) नियोक्ता के संबंध में जानकारी :-

नियोक्ता विभाग/ संगठन का नाम	संस्थान/प्रतिष्ठा का नाम जहाँ कार्य किया है या कर रहे है, का पूर्ण पता	दूरभाष क्रमांक एसटीडी कोड सहित/मोबाईल नं.	ई-मेल	अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4	5

टीप :-आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव की जाँच कराई जायेगी, जाँच में किसी भी प्रकार से गलत जानकारी प्राप्त होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पद हेतु अमान्य किया जायेगा तथा वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। अतः असत्य जानकारी न दी जावे।

आवेदक के हस्ताक्षर

10. क्या आप आयु सीमा में छूट का दावा करते हैं ? ..... यदि हां तो 1. कितने वर्ष की..... 2. कारण बतायें.....

.....( प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति लगाय).....

टीप :- आवेदक को पद की पूर्ति से संबंधित आवश्यक जानकारी/पत्राचार ई-मेल/SMS के माध्यम से दिया जायेगा। अतः ध्यान पूर्वक ई-मेल एवं मोबाईल नंबर अंकित करें।

निम्न बिंदुओं की जानकारी हेतु उचित खाने में ✓ चिह्न अंकित करें। यदि जानकारी हां में है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।

11. क्या आप भूतपूर्व सैनिक है ? हां  नहीं
12. पत्र व्यवहार का पता :- .....  
 .....  
 .....  
 जिला का नाम-.....पिन कोड-.....  
 एसटीडी कोड-.....लैंडलाइन नं.....  
 मोबाईल नं.....ई-मेल.....
13. क्या आप परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्डधारक है ? हां  नहीं
14. क्या आप शासकीय सेवा से छंटनी किये गये है हां  नहीं
15. क्या आप अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन, योजनान्तर्गत पति/पत्नि हैं ? हां  नहीं  पुरस्कृत सवर्ण
16. क्या आप विक्रम पुरस्कार विजेता है ? हां  नहीं
17. क्या आपके पास आवेदित पद के लिये शैक्षणिक योग्यताएं है ? हां  नहीं  एवं तकनीकी
18. रोजगार कार्यालय का नाम एवं दिनांक :-.....  
 जीवित रोजगार पंजीयन क्रमांक :-.....
19. विवाहित होने की स्थिति में विवाह की तिथि :-.....
20. अंतिम बच्चे की जन्मतिथि :-.....
21. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-  
 (उल्लेख करें)
1. आयु के सत्यापन के संबंध में 10वीं/अन्य की अंकसूची.....
  2. मूल निवास प्रमाण-पत्र .....
  3. जाति प्रमाण-पत्र .....
  4. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र .....
  5. अनुभव प्रमाण-पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी).....
  6. रोजगार पंजीयन प्रमाण-पत्र .....
  7. अन्य.....

### प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है एवं मैं आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता/योग्यता रखता/रखती हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति निरस्त की जा सकती है तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक .....  
 स्थान .....

आवेदक के हस्ताक्षर  
 एवं पूरा स्थायी पता .....